सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
नियमावली

सुरेश मिश्रा
जवाहर लाल द्विवेदी

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव
76, Sector-18, Gurgaon-122001

विषय सूची

धारा	विषय	पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	
2.	भूमिका	
3.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – एक परिचय	5–34
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	35–72
5.	हरियाणा सूचना अधिकार नियम, 2005	73–80

भूमिका

शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता से शासन की प्रक्रिया में सहभागिता की अपेक्षा रहती है । जनता की प्रभावी सहभागिता के लिए जनता को सूचना के अधिकार के विषय में जानकारी होना जरूरी है क्योंकि सूचना ही शक्ति है । सूचना के अधिकार तक जनता की पहुंच ही सरकार की कार्यप्रणाली की लोकतांत्रिक छानबीन का मार्ग प्रशस्त करती है । इससे भ्रष्टाचार की संभावनाओं, सत्ता के दुरूपयोग तथा अवांछनीय (अप्रासंगिक) विचारधाराओं पर शासन की शक्ति के दुरूपयोग पर नियंत्रण लगता है । अतः खुली और पारदर्शक सरकार लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है । इक्कीसवीं सदी का नागरिक जागरूक है और वह ज्ञान की खोज में है । सूचना के इस युग में प्रशासन के प्रतिमान में गोपनीयता और रहस्य के स्थान पर खुलेपन और पारदर्शिता की आवश्यकता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इस उद्देश्य की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित हो सकता है । इस अधिनियम का उद्देश्य लोगों के लिए सूचना के अधिकार के उपभोग के लिए एक व्यावहारिक तंत्र की स्थापना करना है जिसके माध्यम से सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में रहने वाली सूचना तक जनता की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है और इसके द्वारा प्रत्येक लोकसत्ता (लोक अधिकारी) की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा । जबसे यह अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद से देश में प्रशासन की प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है तथा लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों में जनता का विश्वास बढ़ रहा है ।

इस नियमावली के निर्माण में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुड़गांव की आर0टी0आई0 शाखा का महत्वपूर्ण योगदान है जो कि भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के प्रोजेक्ट ''सूचना तक पहुंच के लिए क्षमता–निर्माण'' (कैपासिटी बिल्डिंग फार एक्सेस टू इन्फार्मेशन) के तहत इस गतिविधि में शामिल है । हम भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आभारी हैं जिसने इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए हरियाणा को एक राज्य के रूप में चुना । इस प्रोजेक्ट में हमें श्री अजय साहनी, आई0ए0एस0, संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण (डी0ओ0पी0टी0), श्री विनीत पांडेय, निदेशक, प्रशिक्षण (डी0ओ0पी0टी0) तथा श्री ए0बी0 मांडोलिया, उपनिदेशक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का भी

बहुमूल्य योगदान मिला जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं ।

हम हिपा के पूर्व महानिदेशक डा0 जी0 प्रसन्ना कुमार के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्य के लिए लगातार सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया ।

इस नियमावली को तैयार करने में अनेक स्रोतों से अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया गया है । हमें विश्वास है कि यह पुस्तिका सूचना के अधिकार से लाभान्वित होने वाले विविध सहभागियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होगी तथा उनकी सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कराने और खुली तथा पारदर्शी सरकार बनाने में इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने में सहायक होगी ।

गुड़गांव
दिनांक 20-09-2007

डॉ0 सुरेश मिश्रा
डॉ0 जवाहर लाल द्विवेदी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -- एक परिचय

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन करने की वास्तविक शक्तियाँ जनता के पास रहती हैं । इसी बात को अब्राहम लिंकन ने कहा था कि "लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिये सरकार है ।" इसलिए शासकीय कार्यों और गतिविधियों के संबंध में सूचना प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है । लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता और मजबूती के लिये आम नागरिक का जागरुक होना बहुत ज़रूरी है । विश्व के कई देशों में सूचना का अधिकार कानून पहले से ही लागू है । लोकतांत्रिक देश होने के कारण भारत में भी सूचना का अधिकार कानून की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी । अतः लोकतंत्र की ज़रूरत और जनभावनाओं को महसूस करते हुए भारतीय संसद ने 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' पारित किया और इस बिल पर रा-ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद 12 अक्टूबर, 2005 से यह अधिनियम पूरी तरह से देश में लागू हो गया है ।

सूचना का अधिकार क्या है ?

सूचना के अधिकार का मतलब है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को भारत में स्थित सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों, प्रति-ठानों तथा ग़ैरसरकारी संगठनों जो कि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोि-त हैं, से इन कार्यालयों के कार्यों और गतिविधियों की सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है । अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने नागरिक के इस अधिकार को वैधानिक रूप प्रदान कर दिया है ।

सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का एक भाग है । अनुच्छेद 19(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भा-ाण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है । सर्वोच्च न्यायालय ने 1976 में 'राजनारायण बनाम उ0प्र0' के मामले में कहा था, "जानकारी के अभाव में व्यक्ति अपने आपको अभिव्यक्त नहीं कर सकता अर्थात् बोल नहीं सकता । अतः सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है ।" इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है, "भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चूंकि जनता सरकार की असली मालिक होती है, अतः मालिक को यह अधिकार होता है कि वह सरकारों की, जो कि जनता की सेवक हैं, कार्यप्रणाली के वि-ाय में पूरी

जानकारी रखे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक नागरिक कर (टैक्स) देता है । यहाँ तक कि एक भिखारी, ग़रीब या रिक्शाचालक भी बाजार से साबुन या कोई भी दैनिक उपभोग की वस्तु खरीदता है तो वह भी बिक्री कर, उत्पाद शुल्क (एक्साइज़ ड्यूटी आदि) के रूप में सरकार को टैक्स भरता है। इसलिये नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा किस ढंग से और कहाँ-कहाँ खर्च किया जा रहा है । अतः सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकारों का ही एक अंग माना है ।

सूचना का अधिकार कानून, 2005 नागरिकों को कोई नया अधिकार प्रदान नहीं करता क्योंकि सूचना का अधिकार तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1) में पहले से ही प्राप्त है । यह नया कानून नागरिकों को एक हथियार (मशीनरी) अथवा प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बतलाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यह कानून उन तरीकों को स्प-ट करता है कि नागरिकों को कहाँ से सूचना मिल सकती हैं ? कहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करना है और कितनी फीस देनी पड़ेगी ? आदि ।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह -

- सरकार से कोई सवाल पूछ सके अथवा कोई सूचना मांग सके।
- किसी सरकारी दस्तावेज की फोटोकॉपी ले सके, अथवा उसका निरीक्षण कर सके।
- किसी सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सके अथवा सरकारी कार्य में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का नमूना (सैम्पल) ले सके।
- सूचना की डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से कम्प्यूटर में भंडारित सूचना ले सके।
- अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के कर्त्तव्यों, शक्तियों, निर्णयों, कार्यप्रणाली तथा कार्यमापदंड आदि की जानकारी हासिल कर सके ।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की मौलिक विशे-ताएँ :

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' है।
2. यह अधिनियम एक 'समुचित सरकार' की परिभा-ा देता है जिसे वह

'लोकसत्ता' या लोकप्राधिकरण (पब्लिक एथॉरिटी) की संज्ञा देता है ।

3. यह लोकसत्ता केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन, नियंत्रित अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोनित होती है ।

4. लोकसत्ता (पब्लिक एथॉरिटी) से अभिप्राय है कि ऐसी सत्ता अथवा इकाई या स्वशासन की संस्था जो कि संविधान के तहत स्थापित या निर्मित हों, किसी समुचित सरकार के कानून द्वारा निर्मित हो अथवा किसी समुचित सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे पर्याप्त मात्रा में धन मुहैया कराया जाता हो और वह ऐसी सरकार के नियंत्रण में हो । अर्थात् उस सत्ता पर सरकारी नियम-कानून लागू होते हों । सरकार द्वारा वित्तपोनित ग़ैर-सरकारी संगठन भी इस लोकसत्ता में शामिल हैं ।

5. अधिनियम की परिधि में संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभाएँ, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा उनके प्रशासनिक कार्यालय, चुनाव आयोग, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग आदि संवैधानिक संस्थाएँ आती हैं । देश के अन्दर विद्यमान केवल आंतरिक और विदेशी निजी संस्थाएँ ही अधिनियम की परिधि से बाहर रखी गई हैं ।

6. यह अधिनियम लोकप्राधिकरणों के अधिकारियों पर यह दायित्व डालता है कि वह सूचना को जनता के लिये उपलब्ध कराएँ तथा सूचना उपलब्ध कराने की प्रणाली तथा मशीनरी तैयार रखें ।

7. यदि सूचना किसी अन्य कार्यालय या अन्य सूचना अधिकारी से संबंधित है तो सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने वाला जनसूचना अधिकारी उस आवेदन को संबंधित कार्यालय के जनसूचना अधिकारी के पास भेज सकता है ।

8. अधिनियम के अनुसार सूचना के लिये आवेदन देने की तिथि से 30 दिन के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है । यदि इस सूचना में कोई तीसरा पक्ष भी शामिल है तो यह समय सीमा बढ़कर 40 दिन हो सकती है । परंतु यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली है तो ऐसी स्थिति में सूचना को 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

9. सूचना के लिये फीस तर्कसंगत होनी चाहिए । निर्धनता रेखा से नीचे जीवन

यापन कर रहे लोगों से कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए ।

10. इस अधिनियम के प्रावधानानुसार सर्वोच्च शिखर पर एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा प्रत्येक राज्य में राज्य सूचना आयोग होंगे । दोनों ही आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त होंगे ।

11. एक्ट के तहत अपील के लिये एक दो स्तरीय फोरम (मंच) की भी व्यवस्था की गई है । प्रथम अपील जनसूचना अधिकारी से वरि-ठ विभागीय अधिकारी को की जा सकती है जिस विभाग से सूचना मांगी गई है तथा दूसरी अपील सूचना आयोग को की जा सकती है ।

12. यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना करता है तो सूचना मांगने वाला आवेदक सूचना के लिये मना किये जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील में जा सकता है । ऐसी अपील के निपटारे की समय सीमा भी 30 दिन है जो कि 45 दिन तक बढ़ाई जा सकती है ।

13. इस अधिनियम के प्रावधान आत्यंतिक (overriding) प्रकृति के बनाए गए हैं ताकि इन प्रावधानों को छोटी अदालतों की कार्रवाइयों द्वारा नि-प्रभावी न बना दिया जाये । अधिनियम की धारा 23 के तहत निचली अदालतों के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है अर्थात् इस अधिनियम के प्रावधानों पर निचली अदालतें कोई अडंगा नहीं लगा सकतीं ।

14. केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम को पूरी तरह लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा संसद और राज्य विधानसभाओं के पटल पर रखे जाने के लिये वार्-िक रिपोर्ट भी तैयार करवायेंगे ।

15. केन्द्र सरकार इस एक्ट के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 'सूचना तंत्र' के विकास के लिये कार्यक्रमों को बनायेगी ।

16. यदि कोई भी सूचना अधिकारी तय समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता और न ही इनकार करता है तो वह प्रत्येक दिन 250 रुपये की दर से जुर्माना भरेगा । यह जुर्माना अधिकतम 25000 रुपये हो सकता है ।

17. तय समय सीमा के भीतर सूचना न देने पर आवेदक की फीस वापस करनी पड़ेगी ।

18. यदि कोई व्यक्ति किसी भी वजह से लिखित आवेदन देने में असमर्थ है तो वह मौखिक आवेदन लोक सूचना अधिकारी को अपनी बात बोलकर बता सकता है और वह उसका मौखिक आवेदन माना जायेगा । लोकसूचना अधिकारी उसको लिखित बनाने में सहायता करेगा अर्थात् उसको लिखेगा

या किसी से लिखवा कर रिकॉर्ड में लायेगा और आगे की कार्रवाई करेगा।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ की मूल प्रति केन्द्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट www.persmin.nic.in पर से डाऊन लोड करके प्राप्त की जा सकती है । यह केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.nic.in पर भी उपलब्ध है।

सूचना के अधिकार से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण सवाल और उनके जवाबः

सवाल : क्या सूचना की परिभा-ाा में 'फाइल नोटिंग्स' शामिल है ?

जवाब : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2, 'अभिलेख' को परिभाि-ात करती है । धारा 2(झ) (क) के अनुसार, अभिलेख में शामिल है--कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल । फाइल की परिभा-ाा भारत सरकार द्वारा बनाए गए 'मैन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर' में दी गयी है । मैन्युअल में दी गयी परिभा-ाा में 'टिप्पणी और टिप्पणी के परिशि-ट' शामिल हैं । अतः, तकनीकी और वैधानिक रूप से, अधिनियम की धारा (झ) (क) में, फाइल में नोटिंग्स को सम्मिलित माना जायेगा ।

सवाल : क्या अधिनियम के अन्तर्गत 'फाइल नोटिंग्स' का खुलासा किये जाने से अधिकारियों को विवादित मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिखने के लिये डर पैदा करेगा ।

जवाब : 'सूचना का अधिकार' कानून ईमानदार अधिकारियों के लिये एक हथियार है, अतः उन्हें अब किसी दंड से डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल भ्र-ट अधिकारी ही, जिनके मन में खोट है, इसका विरोध करेंगे। ईमानदार अधिकारियों के लिए तो यह कानून वरदान साबित होगा क्योंकि वे इस कानून का सहारा लेकर किसी भी बड़े-से-बडे राजनीतिक या नौकरशाही के दबाव को मानने से इनकार कर सकते हैं । यह भय कि जनता शरारत वश अधिकारियों को ब्लैकमेल करेगी, ऐसे ब्लैकमेलरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा कर उन्हें कानूनी शिकंजे में दिया जा सकता है ।

सवाल : किसी सार्वजनिक उपक्रम के वि-ाय में यह कानून क्या कहता है ?

जवाब : इस एक्ट के तहत सार्वजनिक उपक्रम को भी लोक प्राधिकरण के

अंतर्गत शामिल किया गया है । लेकिन, यदि कोई आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जिसका संबंध व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से है जिसके खुलासे से उपक्रम की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुँचता है, तब ऐसी सूचनाएँ नहीं दी जाएँगी । लेकिन यदि सूचना का खुलासा व्यापक जनहित में आवश्यक है, तब वह सूचना आवेदक को प्रदान की जाएगी । यदि कानून सार्वजनिक उपक्रम को सूचना के खुलासे से रोकता है, तब समुचित सरकार के द्वारा इस कानून की समीक्षा कर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुरूप किया जाएगा । इस नवीन पारदर्शी व्यवस्था की यह अनिवार्य आवश्यकता है।

सवाल : लोक सूचना अधिकारियों द्वारा पहले से ही जनता को सरकारी कामकाज के वि-ाय में उपलब्ध करवाई जा रहीं मौखिक सूचनाएँ क्या इस एक्ट के बाद अब नहीं दी जाएंगी ?

जवाब : सूचना का अधिकार अधिनियम इस प्रकार के अनौपचारिक तौर-तरीकों को समाप्त करने के लिये निर्देश नहीं देता है । अतः, इस प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है । यदि मौखिक निवेदन के आधार पर, बिना किसी विलम्ब के सूचना दी जा सकती है, तो वह दी जानी चाहिए और आवेदक को इसके लिये लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया, जहाँ लोकप्राधिकरण के कार्यों में काग़जी औपचारिकताओं को कम करेगी, वहीं इससे जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा ।

सवाल : क्या सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इस अधिनियम की मदद से अपने 'वार्-िक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर) को प्राप्त कर सकते हैं ?

जवाब : वार्-िक गोपनीय रिपोर्ट (ए.सी.आर.) एक गोपनीय दस्तावेज है, लेकिन अगर वरि-ठ अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाती है तो इसकी सूचना उस अधिकारी को दी जानी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, अधिकारी को ए.सी.आर. की प्रति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर दो अलग मत हैं । एक मत यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ए.सी.आर. भी एक खुला दस्तावेज होना चाहिए । दूसरी ओर कुछ अधिकारियों का मानना है कि

ए.सी.आर. व्यक्तिगत दस्तावेज है और धारा 8(1) (ञ) के अंतर्गत इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि ए.सी.आर के खुलासे से व्यापक जनहित संबंधित न हो । इस मामले में सूचना आयोग सक्षम है और वह संबंधित मामले में अपना निर्णय दे सकता है ।

सवाल : लोक सेवा आयोगों या विश्वविद्यालयों जैसे शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएँ जाँच के बाद प्रतियोगियों को दिखानी चाहिए या नहीं ?

जवाब : प्रतियोगियों तथा छात्र/छात्राओं को उत्तरपुस्तिका संबंधी जानकारी प्राप्त करने से रोकने के लिये, सूचना का अधिकार अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया है । मूल्यांकन के बाद छात्र/छात्राओं को उनके स्कूल, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, में उत्तर पुस्तिकाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए । लोक सेवा आयोग की परीक्षा के संदर्भ में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को गोपनीयता के अंतर्गत परिभाि-त करने का कोई तार्किक कारण न्यायसंगत नहीं है । संभावना इस बात की है कि इस तरह के खुलासे से असंतु-ट छात्र-छात्राएँ बड़ी मात्रा में पुनर्मूल्यांकन की मांग कर सकते हैं, जिससे परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है । सूचना का अधिकार अधिनियम को दृ-टिगत रख सरकार को इस संदर्भ में स्प-ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ।

परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं दिखाई जाएँगी

केन्द्रीय सूचना आयोग ने पूर्ण पीठ की बेंच से दिनांक 24.04.2007 को दिए गये अपने एक निर्णय में यह स्प-ट किया है कि संघ लोकसेवा आयोग अथवा संसद के कानून द्वारा स्थापित किसी संस्था जैसे कि सीबीएसई (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग), कर्मचारी चयन आयोग अथवा विश्वविद्यालय आदि के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगितात्मक तथा शैक्षणिक (अकादमिक) परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिभागियों को दिखाने से इन संस्थाओं की सुचारु व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा अर्थात् ऐसा बार-बार करने पर विश्वविद्यालयों तथा लोकसेवा आयोगों की व्यवस्था बिगड़ (unworkable) सकती है ।

सवाल : यदि आवेदन में आवेदक प्रश्न ज्यादा पूछता है तो क्या आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है ? एक बार में नागरिक कितनी मात्रा में

सूचना मांग सकते हैं? यदि आवेदक ने एक आवेदन में अनेक प्रकार की सूचना मांगी है, तो क्या वह दी जा सकती है ?

जवाब : 'सूचना का अधिकार' अधिनियम किसी भी आवेदन को इस आधार पर अस्वीकृत करने की अनुमति नहीं देता कि आवेदक ने दस्तावेजों की ज्यादा मात्रा मांगी है या सवाल अधिक पूछे हैं । लोक सूचना अधिकारी को आवेदन का निराकरण करते समय सहयोगी व्यवहार अपनाना होगा। यदि किसी आवेदन में बड़ी मात्रा में सूचना की मांग की गयी है, तो जन सूचना अधिकारी आवेदक से बात कर समाधान पर पहुँच सकते हैं कि कौन सी सूचना आवेदक को चाहिए और जिससे कि जन सूचना अधिकारी पर भी अनावश्यक भार न आए । कुछ मामलों में ऐसी बात सामने आयी है जिसमें आवेदकों ने काफी व्यापक रूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि लोक प्राधिकरण के पास कौन सी जानकारी उपलब्ध है ।

यदि आवेदक के पास, डाक के विकल्प के अतिरिक्त, अन्य किसी भी माध्यम द्वारा सूचना नहीं भेजी जा सकती तो जन सूचना अधिकारी लिखित रूप में सूचना आवेदक को उपलब्ध न करा पाने के कारणों को बताएगा । यदि आवेदक इसके विरुद्ध अपील करता है, तब जन सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी और सूचना आयोग के समक्ष अपने पक्ष में इस तर्क को प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्होंने आवेदक को सूचना प्राप्त करने के अधिकार के संदर्भ में समस्त आवश्यक कदम उठाए थे, ताकि अपीलीय स्तर पर जन सूचना अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही प्रतीत हो । इस प्रकार सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिये जन सूचना अधिकारी पर किसी प्रकार की भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी (धारा 21) ।

सवाल : यदि आवेदक ने ऐसी सूचना माँगी है जो कि अनेक विभागों से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

जवाब : सूचना का अधिकार अधिनियम यह स्प-ट करता है कि यदि माँगी गयी सूचना पूर्ण रूप या आंशिक रूप से किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी सूचना के उस भाग को संबंधित लोक प्राधिकरण के पास भेजेगा । धारा 6(3) । अन्य लोक प्राधिकरणों

से सूचना एकत्र करने की जिम्मेदारी जन सूचना अधिकारी की नहीं है, विशे-ाकर जब इस प्रक्रिया में 30 दिन से ज्यादा समय लगता है । यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि आवेदन को संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास हस्तांतरित कर दिया जाए और इस हस्तांतरण की सूचना आवेदक को लिखित रूप में दे दी जाए जिसे सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य माना जाएगा और जन सूचना अधिकारी पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं लगाया जाएगा ।

सवाल : यदि जन सूचना अधिकारी के पास अभिलेखों का अवलोकन करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी समस्त आवेदकों को संबंधित सूचना कैसे दिखाएगा और साथ ही उसे दिए गए अन्य दायित्वों का निर्वहन वह किस प्रकार करेगा? यदि किसी आवेदक ने अवलोकन के दौरान दस्तावेज को न-ट कर दिया या उसमें काट-छाँट कर दी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

जवाब : आवेदकों को अभिलेखों का अवलोकन कराने हेतु सरकार द्वारा कुछ नियम और दिशा-निर्देश बनाये जाने की आवश्यकता है । अभिलेखों का, जनता के द्वारा अवलोकन करने के लिए निश्चित समयावधि का निर्धारण होना चाहिए । यदि दस्तावेजों की किसी श्रेणियों की बड़ी मात्रा में माँग की जा रही है, तब इन दस्तावेजों को इलैक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कर इंटरनेट के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे जन सूचना अधिकारी के कार्यभार में कमी आए । कार्यालयों अथवा अवलोकन स्थल पर धारदार वस्तु, ज्वलनशील पदार्थ या कलम जैसी वस्तुएँ ले जाना प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ।

सवाल : यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने एक ही सूचना के लिए आवेदन किया है, तो क्या यह प्रत्येक आवेदक को दी जानी चाहिए ? क्या इससे जन सूचना अधिकारी का अत्यधिक समय और संसाधन न-ट नहीं होगा ?

जवाब : प्रत्येक लोक प्राधिकरण को जनता द्वारा माँगी जाने वाली सूचना का समय-समय पर मूल्यांकन करना चाहिए । इससे जन सूचना अधिकारी को यह निश्चित करने में आसानी होगी कि कौन सी सूचना जनता द्वारा नियमित रूप से माँगी जा रही है । जो सूचनाएँ एक से अधिक व्यक्तियों

द्वारा नियमित रूप से माँगी जा रही है, उन्हें इंटरनेट पर जनता हेतु उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसे समय-समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए । आवेदक, जिनकी इंटरनेट तक पहुँच सुलभ है, उन्हें जन सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित वेबसाइट की जानकारी प्रदान कर सूचना प्राप्त करने की सलाह दी जानी चाहिए, इससे जन सूचना अधिकारी के कीमती समय की भी बचत होगी और वे अन्य कार्यों के लिये अपना समय भी दे पाएँगे । जनता द्वारा नियमित रूप से मांगी जाने वाली सूचना को जनसूचना अधिकारी के पास उपलब्ध होने वाली सूचना निर्देशिका/ पुस्तिका (जिसे धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा तैयार करना अनिवार्य है) में शामिल करने से भी नागरिकों को सूचना प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया में आसानी होगी और लोक प्राधिकरण के समय और संसाधन की भी बचत होगी ।

सवाल : यदि किसी आवेदक के द्वारा मांगी जाने वाली सूचना का पहले से ही प्रकाशन या खुलासा कर दिया गया है, तो जनसूचना अधिकारी क्या ऐसे आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है ?

जवाब : 'सूचना के अधिकार' अधिनियम में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि सूचना का स्वयमेव प्रदर्शन किए जाने के पश्चात् आवेदक के माँगे जाने पर वह सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाएगी । धारा 4(4) के अंतर्गत, वह समस्त सूचना जिसका प्रसार किया जाना है, वह लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध होगी तथा उसे इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस बिंदु का प्रमुख आधार यह है कि जिस सूचना का खुलासा किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिये आवेदक को 30 दिनों तक इंतजार न करना पड़े । यदि जानकारी मुद्रित रूप में जन सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध है, तो जनसूचना अधिकारी उस जानकारी की छायाप्रति या संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति आवेदक को प्रदान करेगा । यदि वह सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है तो वह सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किए जाने पर फ्लॉपी, सीडी, डिस्केट या प्रिंटआऊट के रूप में आवेदकों को उपलब्ध करायी जाएगी ।

सवाल : क्या इस कानून के अनुसार सूचना न मिलने पर कोर्ट में केस कर सकते

हैं?

जवाब : नहीं । इस कानून के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है । इसके लिये केवल अपील अधिकारी या राज्य सूचना आयोग से अपील की जा सकती है ।

सवाल : क्या अधिकारियों की फाइल नोटिंग्स को दिखाने से मना किया जा सकता है?

जवाब : नहीं ! सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार अधिकारियों की 'फाइल नोटिंग्स' (अर्थात् फाइलों पर वरि-ठ अधिकारियों की टिप्पणियाँ) सरकारी फाइल अथवा दस्तावेज का अभिन्न अंग होती हैं । अतः इस अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि कोई व्यक्ति 'फाइल नोटिंग्स' को देखना चाहता है तो लोक सूचना अधिकारी उसे फाइल नोटिंग्स को दिखाने से अथवा उसकी फोटोप्रति देने से मना नहीं कर सकता । इस बात को केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने 31.01.2006 के आदेश में स्प-ट भी कर दिया है ।

अपील -- कोई भी आवेदक अपने आवेदन से सूचना नहीं मिलने पर या असन्तु-ट जवाब मिलने पर अपील अधिकारी या राज्य सूचना आयोग के पास जा सकता है । इसके लिये वह प्रथम अपील 30 दिन के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी को या दूसरी अपील 90 दिन के अन्दर राज्य सूचना आयोग को कर सकता है ।

अपील में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

अपील का निश्चय करने से पूर्व आयोग

- सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस देगा ।
- अपील के समर्थन में कोई साक्ष्य लेगा, जो सम्बद्ध व्यक्तियों से मौखिक या लिखित रूप में लिया जा सकता है ।
- सम्बद्ध व्यक्तियों से शपथ पर या शपथ लेते हुए निरीक्षण करेगा ।
- दस्तावेजों या किन्हीं अभिलेखों या उनकी प्रतियों को पेश करेगा ।
- किसी अपील के तथ्यों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जांच करेगा या विस्तार में तथ्यों की समीक्षा करेगा ।
- राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य वरि-ठ अधिकारी जिसने प्रथम

अपील का निर्णय किया था, की भी सुनवाई करेगा या शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेगा ।

आयोग द्वारा नोटिस भेजने का तरीका

आयोग सम्बद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित रूप से नोटिस दे सकता है

(क) व्यक्तिगत या लिखित रूप से ।

(ख) रजिस्टर्ड डाक द्वारा ।

(ग) समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा ।

(घ) पत्रकारों की उपस्थिति में घो-णा द्वारा ।

सूचनाएँ जो नहीं दी जा सकती

- भारत की प्रभुता, अखण्डता पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ ।
- राज्य की सुरक्षा, विशे-ातः वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या अन्तर्रा-ट्रीय मामलों पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ ।
- सूचनाएँ जो लोक सुरक्षा और शांति पर विपरीत असर करती हों और जो किसी अपराध के पता लगाने और उसकी जाँच पर विपरीत असर डालती हों, या जो किसी अपराध करने में किसी को प्रोत्साहन दें या किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत असर डालें ।
- केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्बन्धों पर विपरीत असर डालने वाली सूचनाएँ जो केन्द्र और राज्यों के बीच गोपनीय रूप से दी गई हों ।
- मंत्रिमण्डल, उसके सचिवों और अधिकारियों के सभी दस्तावेज व विचार-विमर्श ।
- कोई नीति बनाने या निर्णय लेने से पहले, निर्णय की प्रक्रिया के विचार-विमर्श, कानूनी सलाह और राय ।
- व्यापार और वाणिज्य से संबंधित ऐसी बातें जिन्हें कानूनी तौर पर गुप्त रखा जाता है । ऐसी सूचना जिसे बताने से सरकार की आर्थिक या वाणिज्य स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है या किसी व्यक्ति को नाजायज फायदा या नुकसान हो सकता है ।
- यदि मांगी गई सूचना इस प्रकार की हो जो कि या तो बहुत सामान्य होने के कारण या किसी और कारण से इकट्ठी करने में विभाग का अत्यधिक समय और खर्चा लगता हो, लेकिन इनकार करने से पहले लोक सूचना अधिकारी को उस आवेदन को इस प्रकार संशोधन करने में मदद करनी होगी जिससे मांगी सूचना देने के काबिल हो सके ।
- जो सूचना किसी व्यक्ति की गोपनीयता (प्राईवेसी) पर अनुचित दखल करती

हो वह सूचना भी नहीं दी जायेगी ।

- यदि किसी दस्तावेज के किसी भाग की सूचना देने से वर्जित है पर बाकी भाग दिया जा सकता है तो वर्जित सूचना हटाकर दस्तावेज दिया जायेगा।

तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना (थर्ड पार्टी) इन्फार्मेशनः

जहाँ केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी अथवा राज्य जनसूचना अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी सूचना देना चाहता है जो किसी तीसरे पक्ष या विभाग (थर्ड पार्टी) से संबधित है और ऐसी सूचना उस तीसरे पक्ष या विभाग ने गोपनीय घोषित कर रखा हो तो ऐसी स्थिति में जनसूचना अधिकारी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 5 दिन के अन्दर उस तीसरे पक्ष या विभाग के अधिकारी को लिखित रूप में यह अनुरोध–पत्र भेजेगा कि वह संबंधित सूचना या रिकार्ड आवेदक को देना चाहता है और क्या यह सूचना उस आवदेक को उपलब्ध करवाई जा सकती है? तीसरा पक्ष इस पत्र के जवाब में अपना लिखित या मौखिक जवाब भेजेगा और तत्पश्चात् उस सूचना को आवेदक को देने अथवा न देने के विषय में निर्णय करते समय तीसरे पक्ष या विभाग की राय को ध्यान में रखना आवश्यक है।

यहाँ एक बात यह भी स्पष्ट की जाती है कि कानून के द्वारा संरक्षित व्यापार तथा वाणिज्यिक गोपनियताओं को छोड़कर, यदि तीसरे पक्ष या विभाग के नुकसान का महत्व जनहित के महत्व से कम है तो अधिनियम की राय में ऐसी सूचना आवेदक को प्रदान कर देनी चाहिए।

यहाँ पर इस अधिनियम का एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि यद्यपि लोक सूचना अधिकारी को कुछ महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को आवेदक को न देने की छूट मिली हुई है, परन्तु यह छूट आत्यंतिक (एबसोल्यूट) नहीं है । सूचना का छिपाया जाना तथा सार्वजनिक हित में सूचना को सार्वजनिक करने या खुलासा करने के बीच में एक संतुलन की स्थिति होनी चाहिए । अर्थात् अगर सूचना को दे देने से लोकसत्ता को होने वाली हानि का वजन सूचना को छिपाने से जनहित को होने वाली हानि के वजन से कम हो तो ऐसी स्थिति में सूचना को उपलब्ध करा देना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी विभाग जिनका काम सुरक्षा और गुप्त सूचना की प्राप्ति से जुड़ा है इनसे सूचना नहीं ली जा सकती है । यह विभाग हैं :-

1. आसूचना ब्यूरो
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्ले-ाण खंड
3. राजस्व आसूचना निदेशालय

4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
5. प्रवर्तन निदेशालय
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो
7. वैमानिक अनुसंसाधन केन्द्र
8. विशे-ा सीमान्त बल
9. सीमा सुरक्षा बल
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल
11. विशे-ा शाखा (C.I.D) अण्डमान ओर निकोबार
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
13. रा-ट्रीय सुरक्षा गार्ड
14. असम राईफल
15. विशे-ा सेवा ब्यूरो
16. भारत तिब्बत सीमा बल
17. अपराध शाखा (C.I.D) सी बी, दादरा नगर हवेली
18. विशे-ा शाखा लक्षद्वीप पुलिस

सूचना के प्रकट किए जाने से छूटः

सूचना के अधिकार-अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कुछ विशे-ा सूचनाओं को बताने से मना किया गया है । अर्थात् लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचनाओं को किसी आवेदक (सूचना मांगने वाले) को सूचना देने से मना कर सकता है ।

(क) सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने की संभावना हो;

(ख) सूचना , जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निि-द्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधानमंडल के विशे-ाधिकार का भंग होता हो ।

(घ) सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को

नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है;

(ड़) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिये विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना जिससे अपराधियों के अन्वे-ाण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरि-ाद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्रिपरि-ाद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और वि-ाय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगेः

परन्तु यह और कि वे वि-ाय जो इस धारा में विनिर्दि-ट छूटों के अन्तर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे,

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित हैः

परंतु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकेगा ।

अधिनियम की अनुसूची 2 में उल्लिखित इंटेलीजेंस और सुरक्षा एजेंसियाँ भी एक्ट की परिधि से बाहर रखी गई हैं । परंतु भ्र-टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में सूचना उपलब्ध कराना इन एजेंसियों का उत्तरदायित्व

है जिसे अवश्य पूरा करना पड़ेगा ।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुँच देनी पड़ेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है ।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खंड (ग) और खंड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या वि-ाय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस व-र्ा पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगीः

परंतु यह कि जहाँ उस तारीख के बारे में, जिससे बीस व-र्ा की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

इस अधिनियम में एक प्रावधान ऐसा भी है जो कि धारा 8 के तहत सूचना को छिपाने के प्रावधान को उलट देता है । अर्थात् सूचना को दे देने के लिये कहता है । वह यह है कि यदि किसी घटना को घटित हुए 20 व-र्ा से अधिक का समय बीत चुका है तो ऐसी सूचना को आवेदक को उपलब्ध कराना चाहिए ।

लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 में शामिल 11 वि-ायों से संबंधित सूचनाओं को देने से मना कर सकता है। ये वि-ाय हैं:- विदेशी सरकारों से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचनाएँ; देश की सुरक्षा, सामरिक अथवा आर्थिक हितों के लिए घातक सूचनाएँ; संसद तथा राज्य विधानसभाओं के विशे-ाधिकारों का हनन करने वाली सूचनाएँ आदि ।

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन कहाँ करें ?

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लोक सूचना अधिकारी (PIO) तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) नियुक्त करने के दिशा-निर्देश केन्द्र तथा राज्य स्तर के सभी विभागों को जारी किये जा चुके हैं और प्रायः सभी विभागों ने इन अधिकारियों की नियुक्तियाँ कर भी दी हैं । सहायक लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक जिला,

उपमंडल, तहसील अथवा ब्लॉक स्तर पर स्थित अपने-अपने कार्यालयों के अध्यक्ष अथवा इंचार्ज अधिकारी को बनाया गया है । इस प्रकार प्रत्येक विभाग के प्रत्येक कार्यालय का मुखिया अधिकारी ही सरकार के द्वारा मनोनीत सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) है । इसी प्रकार प्रत्येक विभाग के मुख्यालय में बैठा हुआ विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, प्रायः निदेशक, विभाग का सचिव अथवा इनके द्वारा नियुक्त कोई बड़े स्तर का अधिकारी लोक सूचना अधिकारी (PIO) कहलाता है। इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिये इच्छुक आवेदक अपना आवेदन-पत्र लोक सूचना अधिकारी (PIO) अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी (APIO) में से किसी को भी दे सकता है ।

सूचना हेतु आवेदन के लिए फीस जमा करनाः

आवेदक को सूचना लेने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस अदा करनी पड़ती है । केन्द्र सरकार के विभागों से सूचना लेने के लिए यह फीस 10 रुपये प्रति पृ-ठ है । जबकि विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया है । इस बारे में विशे-ा जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकार के नियम की वेबसाइट देखी जा सकती है । प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा सूचना हेतु आवेदन के लिए अलग-अलग तरीके से फीस लेने का प्रावधान किया गया है । सामान्यतः फीस निम्नलिखित रूप से जमा करवाई जा सकती हैः-

1. व्यक्तिगत रूप से नकद भुगतान करना । (इसके लिये भुगतान की रसीद अवश्य लें) ।
2. डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर, मनी ऑर्डर, कोर्ट फीस का स्टैम्प लगवाकर तथा बैंकर्स चेक के माध्यम से भी फीस जमा करवाई जा सकती है ।
3. कुछ राज्य सरकारों ने सूचना के अधिकार मद के तहत खाते (हेड ऑफ एकाउंट) खोल रखे हैं । इसके लिए इसी खाते में बैंक में नगद जमा करवा कर रसीद को आवेदन पत्र के साथ लगाया जा सकता है अथवा इस खाते के पक्ष में देय पोस्टल आर्डर या ड्राफ्ट लगाकर सूचना प्राप्त करने का आवेदन दिया जा सकता है ।

सूचना लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूपः

केन्द्र सरकार के विभागों से सूचना लेने हेतु आवेदन पत्र का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है । इसके लिए साधारण सादे पेपर शीट पर सामान्य प्रार्थना-पत्र लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करके दिया जा सकता है । तथापि कुछ राज्य सरकारों तथा कुछ मंत्रालयों और विभागों द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित किया हुआ है जिसके लिए संबंधित सरकार और विभाग से संपर्क किया जा सकता है । हरियाणा सरकार ने इसके लिए आवेदन के प्रारूप को फार्म 'ए', 'बी' तथा फार्म 'सी' के रूप में निर्धारित किया है ।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभागों, मंत्रालयों के सभी लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकारियों की सूची ऑन लाईन वेबसाइट www.rti.gov.in पर उपलब्ध है ।

सूचना आयोगों की शक्तियाँ, अपील तथा दंड

शक्तियाँः

1. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित में से किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करे --
   (क) जो किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दि-ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्ये-ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है,
   (ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुँच के लिए इनकार कर दिया गया है;
   (ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दि-ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं

दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है;

(ड़) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने का उन तक पहुँच सुनिश्चित करने से संबंधित किसी अन्य वि-ाय के संबंध में।

2. जहाँ केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस वि-ाय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा ।

3. केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् --

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना;

(ड़.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य वि-ाय, जो विहित किया जाए ।

4. संसद या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्वि-ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

अपीलः

1. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दि-ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी से पद में श्रे-ठ हो या बड़ा हो ।

   परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

2. जहाँ अपील धारा 11 के अधीन, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा, पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

3. उपधारा (1) के अधीन विनिचय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगीः

   परन्तु केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

4. यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

5. अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इनकार किया था, होगा ।

6. उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालिस दिन से अधिक न हो, किया जायेगा ।
7. अपील में केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा ।

प्रथम अपील

यदि कोई आवेदक किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं कर पाता अथवा प्राप्त सूचना से संतु-ट नहीं है तो वह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दायर कर सकता है । प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी की रैंक से वरि-ठ स्तर के अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये हैं जहाँ पर आवेदक अपनी अपील कर सकता है । प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं ली जाती । आवेदक लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अथवा यदि सूचना नहीं प्राप्त की है तो आवेदन करने के 60 दिन के अन्दर प्रथम अपील दायर कर सकता है ।

दूसरी अपील

इस अधिनियम के तहत सूचना हासिल करने के लिए दूसरी अपील आवेदक के पास अंतिम विकल्प है । दूसरी अपील सूचना आयोग में की जा सकती है । केन्द्र सरकार के विभागों के खिलाफ अपील करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग है तथा राज्य सरकार के विभागों के खिलाफ अपील राज्य स्तर पर स्थित राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है । दूसरी अपील के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता; जबकि कुछ राज्य सरकारों ने कुछ फीस तय की हुई है ।

दंड :

1. जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दि-ट समय के भीतर

सूचना नहीं दी या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को न-ट कर दिया है, जो अनुरोध का वि-ाय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये का दण्ड अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसे दण्ड की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी । आयोग ऐसे सूचना अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के अधीन विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकता है।

परंतु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस पर कोई दण्ड अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगाः

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

केन्द्रीय सूचना आयोग

1. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएँ।
2. केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगाः-
   (क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और
   (ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएँ ।
3. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति रा-ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी --
   (क) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ।
   (ख) लोकसभा में विपक्ष का नेता; और
   (ग) प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दि-ट संघ-मंत्रिमंडल का एक मंत्री ।
4. केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और

बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है ।

5. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

6. मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

7. केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

पदावधि और सेवा शर्तें

1. सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच व-र्ा की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

   परंतु कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैसंठ व-र्ा की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

2. प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच व-र्ा की अवधि के लिए या पैसंठ व-र्ा की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

   परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दि-ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

   परंतु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच व-र्ा से अधिक नहीं होगी।

3. मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व

रा-ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

4. मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, रा-ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा : परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दि-ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

5. वेतन और भत्ते :-

(क) वेतन और भत्ते की सुविधाएँ मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) वेतन और भत्ते की सुविधाएँ सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं।

6. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को रा-ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने रा-ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

7. उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी रा-ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त -

(क) दीवालिया घोि-त किया गया है; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दो-ासिद्ध ठहराया गया है, जिसमें रा-ट्रपति की राय में, वह नैतिक रूप से पतित हो ।

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्त्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) रा-ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ड़) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

8. यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसमें हितबद्ध है या किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दो-ी समझा जाएगा ।

राज्य सूचना आयोग

1. राज्य मुख्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा --
   (क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और
   (ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएँ ।
2. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी --
   (क) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;
   (ख) विधान सभा में विपक्ष का नेता; और
   (ग) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।
3. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।
4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
5. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच व-र्ा की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

   परंतु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैसंठ व-र्ा की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

परंतु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच व-र्ा से अधिक नहीं होगी।

6. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा;

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दि-ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

7. वेतन और भत्तेः

(क) वेतन और भत्ते की सुविधाएँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) वेतन और भत्ते की सुविधाएँ राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं;

8. उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निदेश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

9. उपधारा (1) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त --

(क) दीवालिया घोि-त किया गया है; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दो-ा सिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक रूप से पतित हो ।

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्त्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ड.) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य

सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

हरियाणा सूचना आयोग

हरियाणा सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के भाग 27 की उप-धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के लिये हरियाणा सूचना आयोग बनाने के लिये विधिवत् क़ानून पास किया है । हरियाणा सूचना आयोग क़ानून की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

- राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त होंगे।
- आयोग में अधिक से अधिक 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं ।
- राज्य सूचना आयोग के लिये नियुक्त सदस्य 5 व-र्ा या 65 व-र्ा की उम्र जो पहले हो तक पद धारण करेंगे तथा दोबारा नहीं चुने जायेंगे ।
- राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सर्वोच्च अधिकारी होगा ।
- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद सदस्य या विधानमंडल की सदस्यता, या कोई लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा तथा राजनीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखेगा ।
- सूचना का अधिकार कानून के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगा ।
- राज्य सूचना आयोग की वार्-िक रिपोर्ट उपलब्ध/प्रस्तुत करेगा ।
- लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिये मुआवजा दिला सकता है ।
- आवेदक द्वारा पहली अपील के निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील लेगा ।

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदनः

- कोई भी व्यक्ति जो सूचना का अधिकार कानून के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है वह 50 रु0 फीस के साथ राज्य - जिला लोक सूचना अधिकारी/राज्य-जिला सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन (प्रारूप क) करेगा ।
- आवेदन प्राप्त होने पर राज्य-जिला लोक सूचना अधिकारी/राज्य-जिला सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदक को इसके टोकन की रसीद देंगे।

फीस की राशि :

- हरियाणा में सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन की फीस 50 रुपये

तय की गई है ।

- ए-4 या ए-3 आकार के कागज पर सूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती है तो 10 रु0 प्रति कागज तथा बड़े आकार के कागज की वास्तविक कीमत ली जायेगी ।
- फ्लोपी में सूचना प्राप्त करने के लिये 50 रुपये हैं ।
- डिस्किट में सूचना प्राप्त करने के लिये 100 रुपये हैं ।
- यदि चाही गई सूचना मुद्रित दस्तावेज में देनी है तो नियत मूल्य लिया जाएगा । परन्तु यदि केवल मुद्रित दस्तावेज का पृ-ठ चाहिए तो 10/- रुपये प्रति पृ-ठ देना होगा ।
- अभिलेख के निरीक्षण के लिए 1 घण्टे की कोई फीस नहीं ली जाएगी यदि निरीक्षण 1 घण्टे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तो प्रथम घण्टे से अधिक प्रत्येक 15 मिनट के लिए 10 रुपये फीस ली जाएगी । 15 मिनट की अवधि का प्रत्येक अंश 15 मिनट की पूर्ण अवधि के रूप में अनुमानित किया जाएगा ।

फीस जमा करना:

- फीस उचित रसीद सहित नगदी में या खजाना चालान या बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर द्वारा राज्य - जिला लोक सूचना अधिकारी/सहायक राज्य - जिला लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करवाई जाएगी ।
- आवेदन के प्राप्त होने पर अधिकारी आवेदन की समीक्षा कर सूचना प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त फीस निर्धारित करेगा ।
- आवेदन प्राप्त करने के 7 दिन में आवेदक को अतिरिक्त फीस जो बनती है उसकी सूचना दी जाएगी (प्रारूप ख) ।
- यदि आवेदक दी गई सूचना के जारी होने के बाद 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त फीस जमा नहीं करवाता तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा ।

प्ररूप क

{देखिये नियम 3(1)}

सेवा में

राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,
(विभाग/कार्यालय का नाम)

1) आवेदक का पूरा नाम
2) पता
3) सूचना के अपेक्षित ब्यौरेः–
   (क) सूचना की विषय–वस्तु
   (ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है
   (ग) अपेक्षित सूचना का वर्णन
   (घ) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में अपेक्षित है (वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे ।)
   (ड.) डाक की दशा में (सामान्य, रजिस्ट्रड या स्पीड)

स्थान :
तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

* निर्देशित किये जाने वाले विषय का विस्तृत प्रवर्ग (जैसे कि अनुदान/सरकारी भूमि/सेवा मामलें/अनुज्ञाप्तियाँ इत्यादि)

** सम्बद्ध अवधि जिसके लिए सूचना निर्देशित की जानी अपेक्षित हैं ।

*** सूचना के विशिष्ट विवरण निर्देशित किये जाने अपेक्षित हैं।

पावती

आपका आवेदन दिनांक ..... डायरी संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त हुआ ।

(हस्ताक्षर)
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी
विभाग/कार्यालय का नाम .....

अतिरिक्त सूचना प्रारूप (ख)

प्रे-ाकः

राज्य - जिला लोक सूचना अधिकारी /
राज्य - जिला सहायक लोक सूचना अधिकारी,
(विभाग/ कार्यालय का नाम)

सेवा में,

आवेदक का नाम तथा पता

महोदय,

कृपया आपके निवेदन दिनांक ---------- जो निम्न हस्ताक्षरित को सम्बोधित करते हुए ---------- सूचना के निवेदन के संदर्भ में । आपको इस सूचना देने के लिए अतिरिक्त फीस ---------- रुपये हैं । आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस कार्यालय में नगदी या चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में फीस का भुगतान करें तथा चालान की प्रति 15 दिन की अवधि के भीतर इस कार्यालय को भेजें तथा ---------- को सूचना एकत्रित करें ।

फीस की राशि प्राप्ति शी-र्ा/खाता संख्या (सम्बद्ध विभाग द्वारा आवेदक को सूचित की जाए) में जमा करवाई जाएगी ।

राज्य - जिला लोक सूचना अधिकारी/
राज्य - जिला सहायक लोक सूचना अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

{15 जून, 2005}

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अन्तर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13 और धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं ।

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो –

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत हैं;

(ड़) ''सक्षम अधिकारी'' से अभिप्रेत है –

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''लोक प्राधिकारी'' से, –

(i) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ii) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(iii) राज्य विधान–मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(iv) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत, –

(1) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;

(2) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।

(झ) ''अभिलेख'' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(i) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ii) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;

(iii) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और

(iv) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ञ) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है –

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना;

(ट) ''राज्य सूचना आयोग'' से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) ''राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''राज्य सूचना आयुक्त'' से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) ''राज्य लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(ढ) ''पर व्यक्ति'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है ।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। सूचना का अधिकार ।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं ।

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी –

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर –

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित है;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ग में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के

लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो ।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण – उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए ''प्रसारित'' से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है ।

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम ।

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्यसूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ

अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा;

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्यिों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा ।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध ।

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए –

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगाः

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके ।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौर को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है, –

(क) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(ख) जिसकी विषय–वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगाः

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

अनुरोध का निपटारा।

7. (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगाः

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है ।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,–

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अन्तर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा ।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो ।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए:

परंतु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा ।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, –

(क) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण,

(ख) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी, और

(ग) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा ।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो ।

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट ।

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी –

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ड़) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं:

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता हो उपलब्ध कराए जाएंगे;

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अर्न्तगत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है;

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी विधान–मंडल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया जा सकेगा ।

1923 का 19

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ग) और खंड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगीः

परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार ।

9. धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा ।

पृथक्करणीयता ।

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए

जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि –

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने के पश्चात्, उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अर्न्तगत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी हैं;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ड़) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्रारूप भी है ।

पर व्यक्ति सूचना ।

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति

द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति के अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगाः परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में, यदि ऐसे प्रकटन में लोक हित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित हानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा ।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है ।

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं । केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन ।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी –

(क) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और

(ग) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण & शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा मे विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा ।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है ।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान–मंडल

का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नही होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

पदावधि और सेवा शर्तें ।

13. (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगाः

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें –

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैंः

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा से संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगीः

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे अपराध कि लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ड़) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन ।

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं ।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा –

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी –

(क) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) विधान सभा में विपक्ष का नेता; और

(ग) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का एक सदस्य ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा ।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती हैं ।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे ।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा ।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

पदावधि और सेवा की शर्तें ।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगाः

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) राज्य मुख सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगाः

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा ।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं;

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगीः परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना ।

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त –

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ड़) उसने ऐसे वित्तिय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उसके प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शक्तियां

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य ।

18. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे, –

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने

में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है;

(ड़) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरम्भ कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:–

1908 का 5

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा ।

अपील ।

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है:

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन के अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता

है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना अयोग को होगीः

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इन्कार किया था, होगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा ।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति हैः–

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैंः–

(1) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

(4) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(5) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(6) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शस्तियों में से कोई शस्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना ।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अन्तर्गत अपील का कोई अधिकारी भी है, सूचना देगा ।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए। शास्ति ।

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या

राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दौ सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि या साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने मे असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, ऐसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक

सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्सम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत, किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना ।

1923 का 19

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगीः

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन

का उससे लोक करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसके उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेः

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगीः

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों सें संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी ।

मानीटर करना और रिपोर्ट करना।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा, –

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां;

(ड़) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशों, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशों या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अन्त के पश्चात् यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना अयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान–मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान–मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा ।

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना ।

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक–

(क) जनता की विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की, वृद्धि करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी ।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है ।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित

करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रोनिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ड.) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार का कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अर्न्तगत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र ।

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए ।

27. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति।

(ड.) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

नियमों का रखा जाना ।

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के

समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद में सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापित, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों:

2002 का 5 निरसन ।

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

पहली अनुसूची

{धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए}

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप

''मै, जो ..... मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं सविंधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।''

दूसरी अनुसूची

{धारा 24 देखिए}

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो ।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड ।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय ।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ।
5. प्रवर्तन निदेशालय ।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र ।
8. विशेष सीमान्त बल ।
9. सीमा सुरक्षा बल ।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।
11. भारत–तिब्बत सीमा बल ।
12. केन्द्रीय औधोगिक सुरक्ष बल ।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ।
14. असम राइफल्स ।
15. विशेष सेवा ब्यूरो ।
16. विशेष शाखा (सी.आई.डी.), अंदमान और निकोबार ।
17. अपराध शाखा–सी.आई.डी.–सी.बी., दादरा और नागर हवेली ।
18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस ।

हरियाणा सूचना अधिकार नियम, 2005

संख्या 5/4/2002–1 एआर – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :&

1. (1) ये नियम हरियाणा सूचना अधिकार नियम, 2005 कहे जा सकते हैं।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएं :–

2. (1) इन नियमों में, जब तक न हो कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(क) ''अधिनियम'' से अभिप्राय है, सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005 (2008 का केन्द्रीय अधिनियम 22);
(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा सूचना आयोग;
(ग) ''प्ररूप'' से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप; तथा
(घ) ''धारा'' से अभिप्राय है अधिनियम की धारा ।
(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, किन्तु परिभाषित नहीं है के वही अर्थ होंगे जो इन्हें अधिनियम में दिये गये है ।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन–धारा 2 (ड) 6 तथा 27

3. (1) कोई व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, इन नियमों के नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्ररूप क में आवेदन करेगा ।
(2) उप–नियम (1) के अधीन मिल गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य सूचना अधिकारी/ राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, आवेदक को इसके टोकन की रसीद देगा ।

फीस जमा करना/धारा–6

4. (1) फीस उचित रसीद सहित नगदी में या खजाना चालान द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करवाई जाएगी ।

(2) फीस की राशि सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को प्राप्ति रसीद/लेखा संख्या में जमा करवाई जाएगी ।

(3) नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा तथा निर्धारित करेगा कि फीस सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संध की जानी अपेक्षित है ।

(4) उप–नियम (3) के अधीन निर्धारित फीस आवेदन की प्राप्ति से सात दिनों की अवधि के भीतर प्ररूप ''ख'' में राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचित की जाएगी ।

(5) यदि आवेदक उप–नियम (4) के अधीन उसको दी गई सूचना के जारी होने के बाद पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर अपेक्षित फीस जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह अनुमान लगाया जाएगा कि आवेदक चाही गई सूचना प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, और उसका आवेदन फाइल कर दिया गया समझा जाएगा ।

फीस की मात्रा धारा 6 तथा 7

5. (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ 50/– रूपये की फीस संलग्न की जाएगी ।

(2) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:–

(क) ए–4 या ए–3 आकार के कागज पर बनाई गई या प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 110/– रूपये; तथा

(ख) यदि सूचना खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न बड़े आकार के कागज पर उपलब्ध करवाई जाती है, तो ऐसे कागज की वास्तविक लागत/कीमत प्रभारित की जाएगी ।

(3) धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदक से निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:–

(क) फ्लोपी में सूचना प्राप्त करने के लिए 50/– रूपये;

(ख) डिस्किट में सूचना प्राप्त करने के लिए 100/– रूपये; तथा

(ग) यदि चाही गई सूचना वैसे स्वरूप की है, जो कि मुद्रित दस्तावेज में है, जिसका मूल्य नियम किया गया है, तब वह सूचना उस मुद्रित दस्तावेज के लिए नियम मूल्य प्रभारित करने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी । तथापि, यदि, केवल ऐसे मुद्रित दस्तावेज का उद्धरण या पृष्ठ मांगा गया है, तब 10/– रूपये प्रति पृष्ठ की फीस प्रभारित की जाएगी ।

(4) अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई भी फीस प्रभारित नहीं की जाएगी यदि ऐसा निरीक्षण केवल एक घण्टे के लिए किया गया है । तथापि, यदि निरीक्षण एक घण्टे से अधिक की अवधि के लिए किया गया है तब प्रथम घण्टे से अधिक प्रत्येक मिनट के लिए 10/– रूपये की फीस प्रभारित की जाएगी । उपरोक्त पन्द्रह मिनट की अवधि का प्रत्येक अंश पन्द्रह मिनट की पूर्ण अवधि के रूप में प्रभारित किया जाएगा।

अपील विनिश्चय करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अपील धारा 19 (10)

6. अपील का निश्चय करने से पूर्व आयोग –

(क) सम्बद्ध व्यक्तियों को नोटिस तामील करेगा;

(ख) अपील के समर्थन में कोई साक्ष्य लेगा, तो सम्बद्ध व्यक्तियों से मौखिक या लिखित रूप में लिया जा सकता है ।

(ग) सम्बद्ध व्यक्तियों से शपथ पर या शपथ पत्र लेते हुये निरीक्षण करेगा;

(घ) दस्तावेजों या किन्हीं अभिलेखों या उनकी प्रतियों को पेश करेगा या निरीक्षण करेगा;

(ड.) किसी अपील के तथ्यों को प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जांच करेगा या विस्तार में तथ्यों की अपेक्षा करेगा यदि ऐसा समुचित प्रतीत हो, राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था जैसी भी स्थिति हो, की सुनवाई करेगा; तथा

(च) राज्य लोक सूचना अधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया था या कोई अन्य व्यक्ति जिससे साक्ष्य आवश्यक समझा जाए, से शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करेगा।

नोटिस के तामील का ढंग धारा 19 (10)

7. आयोग सम्बद्ध व्यक्तियों को निम्नलिखित ढंगों में से किसी एक में नोटिस तामील कर सकता है, अर्थात् :–

(क) व्यक्तिगत रूप से (दस्ती) वितरक प्रतिक्रिया के माध्यम से; या

(ख) देय पावती सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा; या

(ग) समाचार–पत्र में प्रकाशन द्वारा ।

आयोग द्वारा आदेश धारा 19 (10)

8. (1) आयोग लिखित में आदेश करेगा तथा सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में उसकी उद्घोषण करेगा ।

(2) सम्बद्ध पक्षकार, आयोग से, आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है ।

प्ररूप क

{देखिये नियम 3(1)}

सेवा में

राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,
(विभाग/कार्यालय का नाम)

1) आवेदक का पूरा नाम
2) पता
3) सूचना के अपेक्षित ब्यौरेः–
   (क) सूचना की विषय–वस्तु
   (ख) अवधि जिससे सूचना सम्बन्धित है
   (ग) अपेक्षित सूचना का वर्णन
   (घ) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप में अपेक्षित है (वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे ।)
   (ड.) डाक की दशा में (सामान्य, रजिस्ट्रड या स्पीड)

स्थान :
तिथि :

आवेदक के हस्ताक्षर

* निर्देशित किये जाने वाले विषय का विस्तृत प्रवर्ग (जैसे कि अनुदान/सरकारी भूमि/सेवा मामलें/अनुज्ञाप्तियाँ इत्यादि)

** सम्बद्ध अवधि जिसके लिए सूचना निर्देशित की जानी अपेक्षित हैं ।

*** सूचना के विशिष्ट विवरण निर्देशित किये जाने अपेक्षित हैं।

पावती

आपका आवेदन दिनांक ..... डायरी संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा प्राप्त हुआ ।

(हस्ताक्षर)
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी
विभाग/कार्यालय का नाम .....

प्ररूप ख

{देखिये नियम 4(4)}

प्रेषक

राज्य लोक सूचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,
(पता सहित कार्यालय का नाम)

सेवा में

आवेदक का नाम तथा पता ।

महोदय,

कृपया आपके आवेदन दिनांक ..... जो निम्न हस्ताक्षरित को सम्बोधित करते हुए ..... सूचना के निवेदन के संदर्भ में । आपको इस सूचना देने के लिए अतिरिक्त फीस ..... रूपये है ।

2. आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस कार्यालय में नगदी या चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में फीस का भुगतान करें तथा चालान की प्रति पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर इस कार्यालय को भेजें तथा ..... को सूचना एकत्रित करें ।

3. फीस की राशि प्राप्ति शीर्ष/खाता संख्या (सम्बद्ध विभाग द्वारा आवेदक को सूचित की जाए) में जमा करवाई जाएगी ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य
सहायक लोक सूचना अधिकारी

फार्म – 'सी'

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के तहत अपील

प्रेषक

आवेदक का नाम तथा पताः–

राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

(पता सहित कार्यालय का नाम)

प्रेषित

अपीलीय अधिकारी का नाम व पद संज्ञा तथा पताः–

1. अपील करने वाले का पूरा पता –
2. पता –
3. लोक सूचना अधिकारी का विवरण –
4. आदेश प्राप्त करने की तिथि (वह आदेश जिसके खिलाफ अपील की जा रही है) –
5. अपील करने की आखिरी तारीख –
6. सूचना का विवरण –

(क) वांच्छित सूचना की प्रकृति और विषय –

(ख) विभाग अथवा कार्यालय का नाम जिससे सूचना संबंधित है–

(ग) अपील करने का आधार –

स्थान :–

तिथि :–

अपील करने वाले के हस्ताक्षर

सम्पर्क सूत्र

1. केन्द्रीय सूचना आयोग
   क्लब भवन, पुराना जे.एन.यू. कैम्पस
   नई दिल्ली : 110067
   दूरभाष : 011–26761137, 26105041
   फैक्स : 011–26186536
   वेबसाइट : http/cic.gov.in

2. राज्य सूचना आयोग, हरियाणा
   एस.सी.ओ. नं. 70–71, सैक्टर–8सी.
   चण्ड़ीगढ़
   दूरभाष : 0172–2726568
   फैक्स : 0172–27833834
   वेबसाइट : http/cicharyana.gov.in

डॉ0 सुरेश मिश्रा जो कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव के लोक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, वर्तमान में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग में प्रोफेसर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं। डॉ0 मिश्रा ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की है तथा डी0फिल0 की उपाधि इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय से प्राप्त की है ।

डॉ0 मिश्रा ने सार्वजनिक महत्व के विषयों पर व्यापक लेखन कार्य किया है । उनके नाम 12 पुस्तकें तथा लगभग 60 शोधपत्र प्रकाशित हैं ।

डॉ0 मिश्रा यू0एन0डी0पी0 प्रोजेक्ट 'कैपासिटी बिल्डिंग फॉर एक्सेस टू इन्फार्मेशन' के 'राज्य नोडल अधिकारी' थे ।

डॉ0 जवाहर लाल द्विवेदी जो कि हरियाणा सरकार में एक सिविल सेवक हैं, एक स्थापित लेखक, साहित्यकार, समीक्षक तथा राजनीतिशास्त्री हैं। डॉ0 द्विवेदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विषय में एम0फिल और पीएच0डी0 किया है तथा हरियाणा सरकार में आने से पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विषय में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य भी किया है। डॉ0 द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय राजनीतिक चिंतन' दिल्ली विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई है तथा अन्यकृति 'सर्वपल्ली राधाकष्णन' साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित हुई है। डॉ0 द्विवेदी का पीएच0डी0 का शोधग्रंथ 'केन्द्र–राज्य संबंध' विषय पर है जो कि इस विषय के विभिन्न पहलुओं का गहन तथा विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। डॉ0 द्विवेदी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की प्रवक्ता परीक्षा पास की है तथा आई0सी0एस0एस0आर0 (ICSSR) के डॉक्टोरल फेलो रह चुके हैं।

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, हरियाणा प्रदेश का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है । इस संस्थान में हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । मुख्यमंत्री, हरियाणा इस संस्थान की सामान्य सभा के अध्यक्ष हैं तथा मुख्य सचिव, हरियाणा इसकी मुख्यकार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष हैं ।

संस्थान का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त, शोध कार्य, कंसल्टेंसी तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना है ।

हरियाणा राज्य में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को प्रचारित और प्रसारित करने तथा अधिकारियों और आम जनता को सूचना के अधिकार के विषय में प्रशिक्षण देने के लिए हिप्पा संस्थान एक सर्वोच्च निकाय है । भारत सरकार तथा यू0एन0डी0पी0 के सहयोग से 'कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एक्सेस टू इन्फार्मेशन' प्रोजेक्ट हिपा के सहयोग से हरियाणा प्रदेश में चलाया जा रहा है ।

सूचना के अधिकार के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:–

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान,
गुड़गांव – 122 001 (हरियाणा)
दूरभाष: 0124–2345780
वेबसाइट: http://hipa.nic.in
ई–मेल: hipagrg@rediffmail.com

Cover design Courtesy: CHRI, New Delhi

मूल्य: रूपये 30.00 मात्र